

# डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)  
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

छोटूलाल पिता मोडू कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

- 1- रामकुंवार पिता मोडू कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- सोसर पुत्री मोडू कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- शंकर पिता जगदीश कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- शंकर पिता रामनाथ कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5-8 गणपत, धन्नालाल, मु. सवित्री, मु. उंकारी पिता रूगनाथ कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- तसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 85/2015 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X ..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 10 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा